



मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
निर्वाचन भवन
58, अरेरा हिल्स भोपाल-462011

क्र./एफ-61-3/2016/तीन/न.पा./60
प्रति,

भोपाल, दिनांक 26/02/2016

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,
(स्थानीय निर्वाचन)
जिला -समस्त (म.प्र.)

विषय : मतदाता सूची का सतत् पुनरीक्षण - प्रेक्षक समीक्षा बैठक के आयोजन हेतु।

—X—

1. दिनांक 01 जनवरी 2016 की स्थिति में मतदाता सूचियों का सतत् पुनरीक्षण कार्यक्रम आयोग के पत्र क्रमांक एफ-35-01/2016/तीन/43 दिनांक 08.02.2016 एवं पत्र क्रमांक एफ-52-5/2015/तीन/न.पा./41 दिनांक 09.02.2016 से प्रेषित किया जा चुका है।
2. आपके जिले के उप जिला निर्वाचन अधिकारी, 2 मास्टर ट्रेनर और वेण्डर प्रतिनिधि को आयोग मुख्यालय पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रशिक्षण में लिंगानुपात एवं मतदान केन्द्रों की संख्या के आधार पर जिलों के श्रेणीकरण एवं विश्लेषण से प्रशिक्षणार्थियों को अवगत कराया गया है। लिंगानुपात में वृद्धि हेतु लक्ष्यों से भी अवगत कराया गया है। इस विषय पर दिये गये प्रशिक्षण से सम्बंधित पॉवर पाईट प्रेजेंटेशन आपको ई-मेल कर दिये गये हैं।
3. आयोग द्वारा मतदाता सूची के सतत् पुनरीक्षण कार्यक्रम के लिए जिलेवार प्रेक्षक की नियुक्ति की गई है। प्रेक्षक की सूची संलग्न है। कृपया प्रेक्षक के जिला भ्रमण के दौरान निवास, वाहन एवं सत्कार सम्बंधी आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
4. मतदाता सूची के सतत् पुनरीक्षण के सम्बंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला स्तर पर एक समीक्षा बैठक आयोजित करें। समीक्षा बैठक में आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। समीक्षा बैठक का आयोजन दिनांक 8 मार्च 2016 से 12 मार्च 2016 के बीच प्रेक्षक से चर्चा कर नियत किया जाये।
5. समीक्षा बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, आयुक्त नगर पालिक निगम, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, समस्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और समस्त सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें।
6. प्रेक्षक द्वारा समीक्षा बैठक के साथ-साथ जिला मुख्यालय से भिन्न किसी एक नगरीय निकाय में और किसी एक विकासखण्ड में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण सम्बंधी कार्यवाहियों का अवलोकन एवं प्रधिकृत अधिकारियों से चर्चा भी की जायेगी। कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
7. समीक्षा बैठक का एजेण्डा और एजेण्डानुसार पॉवर पाईट प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए टेम्पलेट संलग्न है। कृपया टेम्पलेट अनुसार पॉवर पाईट प्रेजेंटेशन तैयार कर उसकी एक प्रति आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण भी आयोग को अनिवार्यतः भेजा जाये।

संलग्न - यथोपरि

(दीपक सर्वसिना)

उप सचिव

म.प्र.संज्य निर्वाचन आयोग

भोपाल, दिनांक 26/02/2016

पृष्ठ. क्र./एफ-61-3/2016/तीन/न.पा./61
प्रतिलिपि -

1. संभागायुक्त समस्त मध्यप्रदेश।
 2. समस्त प्रेक्षक।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप सचिव

म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग



मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
निर्वाचन भवन
58, अरेरा हिल्स भोपाल-462011

मतदाता सूची का सतत् पुनरीक्षण – प्रेक्षक समीक्षा बैठक

// एजेण्डा //

1. नगरीय निकाय एवं पंचायतों की सामान्य जानकारी।
2. लिंगानुपात के आधार पर श्रेणीकरण।
3. लिंगानुपात (आयु समूहवार) का विश्लेषण एवं प्रस्तुतीकरण (नगरीय निकाय एवं विकासखण्डवार)।
4. लिंगानुपात में वृद्धि के लिए नगरीय निकाय एवं विकासखण्डों को लक्ष्य का निर्धारण।
5. मतदान केन्द्रों की संख्या का विश्लेषण एवं श्रेणीकरण का प्रस्तुतीकरण (नगरीय निकाय एवं विकासखण्डवार)
(क्रमांक 1 से 5 तक की जानकारी का प्रस्तुतीकरण उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाये)
6. लक्ष्य प्राप्ति के लिए मतदाता जागरूकता एवं प्रचार प्रसार कार्ययोजना (SENSE) का प्रस्तुतीकरण –
 - i. नगर पालिक निगम – आयुक्त नगर पालिक निगम द्वारा।
 - ii. नगर पालिका/नगर परिषद् – मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा।
 - iii. विकासखण्ड – मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा।
7. मतदाता सूची का सतत् पुनरीक्षण सम्बंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा एवं योजना।
8. ई.व्ही.एम. के चतुर्मासिक भौतिक सत्यापन एवं अन्तर्जिला भौतिक सत्यापन की प्रगति और ETM (EVM Tracking and Management Application) में प्रविष्टि की समीक्षा।
9. विनिष्टीकरण हेतु डी.एम.एम. को ई.सी.आई.एल. तिरूपति यूनिट भेजने की प्रगति और ETM (EVM Tracking and Management Application) में प्रविष्टि की समीक्षा।
10. पूर्वाद्ध में संभावित नगरीय/पंचायत के आम निर्वाचन और 31 मार्च 2016 की स्थिति में रिक्त पदों के लिए उप निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा।
11. मास्टर ट्रेनर्स को मानदेय एवं यात्रा भत्ता भुगतान की समीक्षा।
(क्रमांक 7 से 11 तक की जानकारी का प्रस्तुतीकरण उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाये)
12. अन्य बिन्दु – जो प्रेक्षक अथवा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत किये जायें।

जिला —

मतदाता सूची का सतत् पुनरीक्षण
समीक्षा बैठक
दिनांक

एजेण्डा क्रमांक-1

सामान्य जानकारी
नगरीय निकाय

क्रमांक	नगरीय निकाय का नाम	वार्डों की कुल संख्या	मतदान केन्द्रों की संख्या	मतदाताओं की संख्या				प्रथम सम्मिलन का दिनांक
				पुरुष	महिला	अन्य	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
योग								

एजेण्डा क्रमांक-1

सामान्य जानकारी पंचायत

क्रमांक	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	मतदान केन्द्रों की संख्या	मतदाताओं की संख्या				जनपद पंचायत के प्रथम सम्मिलन का दिनांक	जिला पंचायत के प्रथम सम्मिलन का दिनांक
				पुरुष	महिला	अन्य	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
योग									

एजेण्डा क्रमांक-2

लिंगानुपात के आधार पर श्रेणीकरण नगरीय निकाय

क्रमांक	नगरीय निकाय का नाम	मतदाताओं की संख्या			लिंगानुपात	श्रेणी
		पुरुष	महिला	योग		
1	2	3	4	5	6	7
योग						

श्रेणीकरण A – 940 से अधिक, B – 910 से 939, C – 909 से कम

एजेण्डा क्रमांक-2

लिंगानुपात के आधार पर श्रेणीकरण जनपद पंचायत

क्रमांक	जनपद पंचायत का नाम	मतदाताओं की संख्या			लिंगानुपात	श्रेणी
		पुरुष	महिला	योग		
1	2	3	4	5	6	7
योग						

श्रेणीकरण A – 940 से अधिक, B – 910 से 939, C – 909 से कम

एजेण्डा क्रमांक-3

आयु समूह के आधार पर लिंगानुपात का विश्लेषण नगर पालिक निगम की जानकारी

क्रमांक	विवरण	पुरुष	महिला	कुल	लिंगानुपात
1.	कुल मतदाता				
2.	आयु 18 से 29 वर्ष तक				
3.	आयु 30 से 59 वर्ष तक				
4.	आयु 60 वर्ष से अधिक				

एजेण्डा क्रमांक-3

आयु समूह के आधार पर लिंगानुपात का विश्लेषण

जिले के समस्त नगर पालिका/नगर परिषद् की जानकारी

क्रमांक	विवरण	पुरुष	महिला	कुल	लिंगानुपात
1.	कुल मतदाता				
2.	आयु 18 से 29 वर्ष तक				
3.	आयु 30 से 59 वर्ष तक				
4.	आयु 60 वर्ष से अधिक				

एजेण्डा क्रमांक-3

आयु समूह के आधार पर लिंगानुपात का विश्लेषण

जिले की समस्त जनपद पंचायतों की जानकारी

क्रमांक	विवरण	पुरुष	महिला	कुल	लिंगानुपात
1.	कुल मतदाता				
2.	आयु 18 से 29 वर्ष तक				
3.	आयु 30 से 59 वर्ष तक				
4.	आयु 60 वर्ष से अधिक				

एजेण्डा क्रमांक-3

आयु समूह के आधार पर लिंगानुपात का विश्लेषण

नगरीय निकाय का नाम

क्रमांक	विवरण	पुरुष	महिला	कुल	लिंगानुपात
1.	कुल मतदाता				
2.	आयु 18 से 29 वर्ष तक				
3.	आयु 30 से 59 वर्ष तक				
4.	आयु 60 वर्ष से अधिक				

नोट - उक्त स्लाइड प्रत्येक नगरीय निकाय के लिए पृथक-पृथक तैयार की जाये।

एजेण्डा क्रमांक-3

आयु समूह के आधार पर लिंगानुपात का विश्लेषण

जनपद पंचायत का नाम

क्रमांक	विवरण	पुरुष	महिला	कुल	लिंगानुपात
1.	कुल मतदाता				
2.	आयु 18 से 29 वर्ष तक				
3.	आयु 30 से 59 वर्ष तक				
4.	आयु 60 वर्ष से अधिक				

नोट - उक्त स्लाइड प्रत्येक जनपद पंचायत के लिए पृथक-पृथक तैयार की जाये।

एजेण्डा क्रमांक-4

लिंगानुपात में वृद्धि हेतु जिले का लक्ष्य

विवरण	मतदाताओं की संख्या			वर्तमान लिंगानुपात	लक्ष्य		
	पुरुष	महिला	कुल		लक्षित महिला मतदाताओं की कुल संख्या (लक्ष्य /1000)x पुरुष मतदाताओं की संख्या	महिला मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हेतु लक्ष्य (6-3)	लिंगानुपात का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8
नपानि							
नपा / नपि							
पंचायत							
योग							

एजेण्डा 4

नगरीय निकाय – लिंगानुपात में वृद्धि हेतु लक्ष्य

नगरीय निकाय का नाम	मतदाताओं की संख्या			वर्तमान लिंगानुपात	लक्ष्य		
	पुरुष	महिला	कुल		लक्षित महिला मतदाताओं की कुल संख्या (लक्ष्य /1000)x पुरुष मतदाताओं की संख्या	महिला मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हेतु लक्ष्य (6-3)	लिंगानुपात का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8
योग							

एजेण्डा क्रमांक-4

जनपद पंचायत – लिंगानुपात में वृद्धि हेतु लक्ष्य

जनपद पंचायत का नाम	मतदाताओं की संख्या			वर्तमान लिंगानुपात	लक्ष्य		
	पुरुष	महिला	कुल		लक्षित महिला मतदाताओं की कुल संख्या (लक्ष्य /1000)x पुरुष मतदाताओं की संख्या	महिला मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हेतु लक्ष्य (6-3)	लिंगानुपात का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8
योग							

एजेण्डा क्रमांक-5

जिले के विभिन्न निकायों में मतदान केन्द्रों की स्थिति

विवरण	कुल मतदाता	कुल मतदान केन्द्र	मापदण्ड के अनुसार मतदान केन्द्रों की संख्या (मतदाताओं की संख्या ÷ 600)	मतदान केन्द्रों का आधिक्य (5-4)	आधिक्य का प्रतिशत (6/5 x 100)
1	2	3	4	5	6
नपानि					
नपा/नपि					
पंचायत					
योग					

एजेण्डा क्रमांक-5

मतदान केन्द्रों की संख्या के आधार पर विश्लेषण एवं श्रेणीकरण

नगरीय निकाय

क्रमांक	नगरीय निकाय का नाम	मतदाताओं की कुल संख्या	मतदान केन्द्रों की कुल संख्या	मापदण्ड के अनुसार मतदान केन्द्रों की संख्या (मतदाताओं की संख्या ÷ 600)	मतदान केन्द्रों का आधिक्य (5-4)	आधिक्य का प्रतिशत (6/5 x 100)	श्रेणीकरण
1	2	3	4	5	6	7	8
योग							

श्रेणीकरण A- 0 से 10 प्रतिशत आधिक्य, B- 11 से 20 प्रतिशत तक आधिक्य, C- 20 प्रतिशत से अधिक आधिक्य

एजेण्डा क्रमांक-5

मतदान केन्द्रों की संख्या के आधार पर विश्लेषण एवं श्रेणीकरण

जनपद पंचायत

क्रमांक	जनपद पंचायत का नाम	मतदाताओं की कुल संख्या	मतदान केन्द्रों की कुल संख्या	मापदण्ड के अनुसार मतदान केन्द्रों की संख्या (मतदाताओं की संख्या ÷ 600)	मतदान केन्द्रों का आधिक्य (5-4)	आधिक्य का प्रतिशत (6/5 x 100)	श्रेणीकरण
1	2	3	4	5	6	7	8
योग							

श्रेणीकरण A- 0 से 10 प्रतिशत आधिक्य, B- 11 से 20 प्रतिशत तक आधिक्य, C- 20 प्रतिशत से अधिक आधिक्य

एजेण्डा क्रमांक-6

**लक्ष्य प्राप्ति के लिए मतदाता जागरूकता एवं प्रचार
प्रसार कार्ययोजना (SENSE) का प्रस्तुतीकरण**

1. नगर पालिक निगम – आयुक्त नगर पालिक निगम द्वारा।
2. नगर पालिका/नगर परिषद् – मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा।
3. विकासखण्ड – मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा।

पृथक-पृथक प्रस्तुतीकरण किया जाये।

एजेण्डा क्रमांक-6

**लक्ष्य प्राप्ति के लिए मतदाता जागरूकता एवं प्रचार
प्रसार कार्ययोजना (SENSE) का प्रस्तुतीकरण**

- सम्बंधित अधिकारियों द्वारा प्रत्येक नगरीय निकाय और प्रत्येक विकासखण्ड के लिए लिंगानुपात में वृद्धि हेतु एक्शन प्लान तैयार कर प्रस्तुत किया जाये.
- एक्शन प्लान में SENSE अंतर्गत आयोग द्वारा चिन्हित गतिविधियों को शामिल करने के साथ-साथ स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार भी गतिविधियाँ शामिल की जायें.
- एक्शन प्लान के अंतर्गत गतिविधियों के क्रियान्वयन का कैलेण्डर प्रस्तुत किया जाये.

एजेण्डा क्रमांक-7

मतदाता सूची का सतत् पुनरीक्षण – प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रमांक	प्रशिक्षण दिनांक	प्रशिक्षण स्थल	प्रशिक्षणार्थियों का पदनाम एवं पद दायित्व	प्रशिक्षणार्थियों की कुल संख्या	प्रशिक्षण देने वाले अधिकारी/मास्टर ट्रेनर का नाम
योग					

एजेण्डा क्रमांक-8

ई.व्ही.एम. का चतुर्मासिक भौतिक सत्यापन

जिला	MSR अनुसार कन्ट्रोल यूनिट की कुल संख्या	कन्ट्रोल यूनिट की संख्या जो वास्तव में स्टोररूम में पाई गई	कन्ट्रोल यूनिट की संख्या जो स्टोररूम में नहीं पाई गई है	MSR में प्रविष्टि अनुसार वैलेट यूनिट की कुल संख्या	वैलेट यूनिट की संख्या जो वास्तव में स्टोररूम में पायी गई	वैलेट यूनिट की संख्या जो स्टोररूम में नहीं पायी गई	MSR अनुसार DMM की कुल संख्या	DMM की संख्या जो वास्तव में स्टोररूम में पायी गई	DMM की संख्या जो स्टोररूम में नहीं पायी गई	ETM applica tion में भौतिक सत्यापन की प्रविष्टि करने का दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

एजेण्डा क्रमांक-8

ई.व्ही.एम. का अंतर्जिला भौतिक सत्यापन

विवरण	जानकारी	रिमार्क (यदि भौतिक सत्यापन में कोई विसंगति पाई गई हो तो उसका संक्षिप्त विवरण)
जिले के उप जिला निर्वाचन अधिकारी को भौतिक सत्यापन हेतु आवंटित जिले का नाम		
आवंटित जिले में ई.व्ही.एम. के भौतिक सत्यापन किये जाने का दिनांक		
जिले के लिए भौतिक सत्यापन हेतु अधिकृत अधिकारी का नाम एवं पदनाम		
अधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन किये जाने का दिनांक		

एजेण्डा क्रमांक-9

Information regarding dispatch of DMMs to ECIL

S. No.	District	Name of ULB/Janpad Panchayat, which is related to DMM	Total No. of DMM	Total number of Polling Stations	Date of dispatch	Date of entry in ETM application

एजेण्डा क्रमांक-10

आगामी आम निर्वाचन (पूर्वाद्ध) – नगरीय निकाय

क्र.	नगरीय निकाय का नाम	वार्डों की संख्या	मतदान केन्द्रों की संख्या	प्रथम सम्मिलन की दिनांक	वार्ड विभाजन की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक	वार्ड आरक्षण की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक	लंबित न्यायालयीन प्रकरण की जानकारी

एजेण्डा क्रमांक-10

आगामी आम निर्वाचन (पूर्वाद्ध) – पंचायत

क्र.	पंचायत का नाम	वार्डों की संख्या	मतदान केन्द्रों की संख्या	प्रथम सम्मिलन की दिनांक	वार्ड विभाजन की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक	वार्ड आरक्षण की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक	लंबित न्यायालयीन प्रकरण की जानकारी

एजेण्डा क्रमांक-10

आगामी उप निर्वाचन (पूर्वाद्ध) – नगरीय निकाय

क्रं.	नगरीय निकाय का नाम	पद का नाम जिसके लिए उप निर्वाचन होना है। महापौर/अध्यक्ष/पार्षद्	पद रिक्त होने का दिनांक	पद रिक्त होने का कारण	पद से सम्बंधित वार्डों की संख्या	पद से सम्बंधित मतदान केन्द्रों की संख्या

एजेण्डा क्रमांक-10

आगामी उप निर्वाचन (पूर्वाद्ध) – पंचायत

क्रं.	पद का नाम	पदों की संख्या जिनके लिए उप निर्वाचन होना है।	रिमार्क
1.	जिला पंचायत सदस्य		
2.	जनपद पंचायत सदस्य		
3.	सरपंच ग्राम पंचायत		
4.	पंच ग्राम पंचायत		

एजेण्डा क्रमांक-11

मास्टर ट्रेनर्स को मानदेय एवं यात्रा भत्ता भुगतान

क्रं.	मास्टर ट्रेनर का नाम	भुगतान की गई राशि			यदि भुगतान नहीं हुआ हो अथवा भुगतान बकाया हो तो उसका कारण
		मानदेय	यात्रा भत्ता	योग	
1.					
2.					
3.					